सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	पौष 09, शुक्रवार, *शाके* 1944-दिसम्बर 30, 2022 *Pausa 09 Friday , Saka 1944- December 30, 2022*	

भाग 6 (ख)

जिला बोर्डो, परिषदों एवं नगर आयोजना संबंधी, विज्ञप्तियां आदि।

नगरीय विकास विभाग

अधिसूचना

जयपुर, दिसम्बर 27, 2022

संख्या प.10(18)नविवि/3/2012 :-राजस्थान नगर सुधार अधिनियम-1959 के अधीन बनाये गये राजस्थान नगर सुधार (सामान्य) नियम-1962 के नियम 4 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 7 के अनुसरण में विभागीय अधिसूचना दिनांक 24.09.2013 के द्वारा उदयपुर मास्टर प्लान-2031 को अधिसूचित किया जा चुका है। नगर विकास न्यास, उदयपुर की सामान्य बैठक दिनांक 23.11.2021, 24.11.2021, 24.12.2021, 11.01.2022, 02.02.2022 व दिनांक 28.10.2022 में न्यास क्षेत्राधिकार में तैयार किये गये जोनल डवलपमेंट प्लान के संबध में न्यास ट्रस्ट द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि जोनल डवलपमेंट प्लान में मौका स्थिति, विभिन्न अधिसूचनाओं, पूर्व में जारी स्वीकृतियो इत्यादि कारणों से हुए संशोधनों के मध्यनजर मास्टर प्लान-2031 में संशोधन किया जाना अपेक्षित है। उपरोक्तानुसार न्यास की बैठकों में लिये गये निर्णयों के प्रस्तावानुसार उदयपुर मास्टर प्लान-2031 (संशोधित) में प्रस्तावित संशोधनों का अनुमोदन कर दिया गया है।

एस.बी. सिविल रीट पीटिशन 16731/2021 माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा पारित अन्तरिम आदेश से प्रभावित भूमि को यथावत रखते हुए तथा इस भूमि का भू-उपयोग निर्धारण माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के अध्याधीन रहेगा।

उक्त उदयपुर मास्टर प्लान-2031 (संशोधित) की प्रति का अवलोकन नगर विकास न्यास, उदयपुर के कार्यालय में किसी भी कार्यदिवस में कार्यालय समय में किया जा सकता है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

मनीष गोयल,
संयुक्त शासन सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।